—: आदेश :—

उपरोक्त प्रार्थीयों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त [illegible] दुरस्ती हेतु निवेदन किया है। इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार [illegible] दुरस्ती अकृत लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती [illegible] के लिये प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती [illegible] योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है :—

| पूर्व इन्द्राज | | | | | स्वीकृत किया गया इन्द्राज | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| ग्राम का नाम | खाता संख्या | खातेदार का नाम | खसरा संख्या | रकबा | खातेदार का नाम | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 57 | पुसाराम पुत्र [illegible] जाति जाटिर (माली) [illegible] | [illegible] | 3.75 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, [illegible])
[illegible], भीलवाड़ा

क्रमांक :—

प्रतिलिपि प्रेषित :—

उप तहसीलदार, भीलवाड़ा

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, [illegible])

क्रमांक :—

दिनांक :—

प्रतिलिपि प्रेषित :—

1. [illegible] को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थानान्तरण नहीं हो तो निर्णयानुसार [illegible] करें।

उप तहसीलदार, भीलवाड़ा